संख्या-26/2016/वे0आ0-2-491/दस-8(मु0स0स0)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव/प्रमुख सचिव,
नियुक्ति विभाग, विधान सभा सचिवालय,
विधान परिषद सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय,
न्याय विभाग, कार्मिक विभाग, राजस्व विभाग,
सतर्कता विभाग, निर्वाचन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 20 मई, 2016**

विषय- उत्तर प्रदेश सचिवालय के कार्मिकों को ग्रेड वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर की धनराशि सचिवालय भत्ते के रूप में दिये जाने से सम्बन्धित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के कार्मिकों को ग्रेड वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर की धनराशि सचिवालय भत्ते के रूप में दिये जाने से सम्बन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :--

(1) उ0प्र0 सचिवालय एवं उ0प्र0 सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों के कार्मिकों को मिल रहे सचिवालय भत्ते की दरों में विभागीय आदेश निर्गत होने की तिथि से 25 प्रतिशत की निम्न तालिका के अनुसार वृद्धि (10 के गुणक में पूर्णांकित करते हुए) इस प्रतिबन्ध के अधीन किया जाय कि इसका समायोजन राज्य में गठित होने वाली वेतन समिति की संस्तुतियों पर सचिवालय भत्ते की दरों में पुनरीक्षण के समय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कर लिया जायेगाः-

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ते की दरें (रू0 में)	25 प्रतिशत की वृद्धि 10 के गुणक में पूर्णांकित किये जाने के उपरान्त संशोधित दरें(रू0 में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	टंकक/नैत्यिक लिपिक से निम्न वेतनमान के पद	625	790
2	टंकक/नैत्यिक तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद (टंकक/नैत्यिक लिपिक से उच्च किन्तु अवर वर्ग सहायक(सहायक समीक्षा अधिकारी) से निम्न वेतनमान के पद भी सम्मिलित)	700	880
3	अवर वर्ग सहायक (सहायक समीक्षा अधिकारी) तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद, अवर वर्ग सहायक (सहायक समीक्षा अधिकारी) से उच्च किन्तु प्रवर वर्ग सहायक (समीक्षा अधिकारी) से निम्न वेतनमान के पद भी सम्मिलित	850	1070
4	प्रवर वर्ग सहायक(समीक्षा अधिकारी) तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद	1200	1500
5	*(क)* अनुभाग अधिकारी तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद। *(ख)* अनुभाग अधिकारी से उच्च एवं अनु सचिव से निम्न वेतनमान के पद।	1500	1880

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6	*(अ)* सचिवालय सेवा के अनु सचिव तथा उसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी। *(ब)* अन्य सेवा के अनुसचिव पद पर तैनात अधिकारी।	1550	1940
7	*(अ)* सचिवालय सेवा के उप सचिव तथा उसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी। *(ब)* अन्य सेवा के उप सचिव पद पर तैनात अधिकारी।	1650	2070
8	*(अ)* सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव तथा उसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी। *(ब)* अन्य सेवा के संयुक्त सचिव पद पर तैनात अधिकारी।	1800	2250
9	*(अ)* सचिवालय सेवा के विशेष सचिव तथा उसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी। *(ब)* अन्य सेवा के विशेष सचिव एवं समकक्ष पद पर तैनात अधिकारी।	2000	2500

(2) उ0प्र0 सचिवालय एवं समकक्षता प्राप्त विभागों के सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी के पदों पर अनुमन्य हो रहे उपरोक्तानुसार सचिवालय भत्ते में से क्रमशः रू0 400, रू0 200 एवं रू0 600 के अंश को उनके ग्रेड वेतन में सम्मिलित करते हुए उक्त पदों पर क्रमशः ग्रेड वेतन रू0 4600, रू0 4800 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 अनुमन्य कराये जाने के निर्णय के फलस्वरूप सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी के पदों पर सचिवालय भत्ता क्रमशः रू0 670, रू0 1300 एवं रू0 1280 ही देय होगा।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-26/2016/वे0आ0-2-491(1)/दस-8(मु0स0स0)/2008टी0सी0तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।